संख्या-1/2019/145/का-1-2019

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2019

विषयः- विभागों द्वारा परामर्श हेतु पत्रावलियां प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2347/47-का-3/2011-9/122/2011, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रमुख (यथास्थिति-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही महत्वपूर्ण एवं नीति विषयक पत्रावलियां परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाय।

यदि विभागीय प्रमुख (यथास्थिति-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) अनुपलब्ध/अवकाश पर हों तथा प्रकरण की तात्कालिकता एवं अपरिहार्यता स्थापित हो रही हो तो ऐसी दशा में विभागीय प्रमुख का प्रभार धारित करने वाले अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य का उल्लेख करते हुए पत्रावली कार्मिक विभाग को संदर्भित की जाय।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्मिक-1/2/3 व 4 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रशासकीय विभाग से प्राप्त होने वाली प्रत्येक पत्रावली के अंतिम पृष्ठ पर उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पत्रावली अनुभाग में प्राप्त किये जाने के निदेश अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी/कम्प्यूटर सहायक को देना सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में दोषी समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी/कम्प्यूटर सहायक के साथ-साथ सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी के विरूद्ध भी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–2347/47–का–3/2011–9/122/2011

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–3, लखनऊ : दिनॉक : 26 दिसम्बर 2011

विषय : विभागों द्वारा परामर्श हेतु पत्रावलियॉ प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभागों से परामर्श हेतु पत्रावलियॉ विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही अनुसचिव/ उपसचिव/ संयुक्त सचिव/ विशेष सचिव स्तर से कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा रही है, जिससे विभागीय नीति/ मत बदलने की संभावना बनी रहती है, यह स्थिति ठीक नहीं है।

उक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही महत्वपूर्ण एवं नीति विषयक पत्रावलियॉ परामर्श हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाय, जिससे कार्मिक विभाग द्वारा अभिमत अंकित करने में सुविधा हो।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या–2347(1)/47–का–3/2011–9/122/2011, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।